



**इलाहाबाद उच्च न्यायालय
लखनऊ**

रिट - सी संख्या - 352 सन 2026

उर्मिला सक्सेना

..... याचिकाकर्ता(ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश सरकार एवं 5
अन्य

.....प्रतिवादी(ओं)

याचिकाकर्ता(ओं) के अधिवक्ता	: प्रतीक श्रीवास्तव, अमर जीत यादव, आनंद कुमार
प्रतिवादी(ओं) के अधिवक्ता	: मुख्य स्थायी अधिवक्ता, आई.एम. पांडे प्रथम, एम.के. दीक्षित

न्यायालय संख्या - 1

**माननीय न्यायमूर्ति राजन राँय
माननीय न्यायमूर्ति अब्धेश कुमार चौधरी**

1. आज दाखिल किए गए निर्देश अभिलेख में दर्ज कर लिए गए हैं।
2. याचिकाकर्ता की ओर से कोई उपस्थित नहीं है।
3. राज्य की ओर से विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री राजेश तिवारी को प्राप्त निर्देशों के अनुसार, विचाराधीन भूमि गैर-जेड.ए. भूमि है, जिसका अर्थ है कि राज्य का इस पर कोई नियंत्रण नहीं है। यह एक निजी भूमि है, इसलिए इस पर मौजूद कोई भी तालाब, यदि कोई हो, तो वह भी निजी तालाब है।
4. याचिका को अभियोजन के अभाव में **खारिज** किया जाता है।

[न्यायमूर्ति अब्धेश कुमार चौधरी]

[न्यायमूर्ति राजन राँय]

जनवरी 22, 2026

शानू/-

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।